The Hindu Plus Summary : 12.02.2024

मेन्स मास्टर

एलएस में औसत वार्षिक बैठक दिवस घटकर 55 रह गया

प्रसंग:
• भारत की संसद के निचले सदन, 17वीं लोकसभा ने अपना कार्यकाल प्रति वर्ष औसतन केवल 55 दिनों की बैठक के साथ पूरा किया, जो कि प्रधान मंत्री नेहरू के युग के 135 दिनों की तुलना में एक महत्वपूर्ण गिरावट है।
• इस गिरावट को आंशिक रूप से महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन प्रारंभिक स्थगन ने भी भूमिका निभाई।
मुख्य निष्कर्ष:
• कम बैठक के दिन: 17वीं लोकसभा में पांच वर्षों में केवल 274 बैठकें हुईं, जबकि पिछले कार्यकाल में इससे अधिक बैठकें हुईं।
• जल्दबाजी में विधेयक पारित करना: 58% विधेयक दो सप्ताह के भीतर पारित कर दिए गए, जिनमें से कुछ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी दो दिनों में पारित हो गए।
• सीमित बहस: 35% विधेयकों पर लोकसभा में एक घंटे से भी कम चर्चा हुई, जिससे जांच को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।
• स्थायी समिति की उपेक्षा: केवल 16% बिल समितियों के पास गए, जो हाल की लोकसभाओं की तुलना में कम है।
• निजी सदस्य विधेयकों को नजरअंदाज किया गया: 729 पीएमबी में से केवल 2 पर चर्चा की गई, जिससे व्यक्तिगत सांसद पहल के लिए सीमित स्थान पर प्रकाश डाला गया।
आशय:
• कम जांच: कम बैठकें और त्वरित विधेयक पारित होने से उचित विधायी निरीक्षण और बहस को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।
• प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताएं: सीमित पीएमबी चर्चा व्यक्तिगत सांसदों के लिए क्षेत्रीय या विशिष्ट मुद्दों को उठाने के अवसरों को कमजोर करती है।
• संवैधानिक उल्लंघन: पूरे कार्यकाल के लिए उपसभापति की अनुपस्थिति संवैधानिक आदेशों के पालन पर सवाल उठाती है।
कुल मिलाकर:
17वीं लोकसभा में बैठक के दिनों की घटती संख्या और जल्दबाजी में विधेयक पारित होने से एक विचारशील निकाय के रूप में संसद की प्रभावशीलता और विविध आवाजों का प्रतिनिधित्व करने की इसकी क्षमता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

रेचन का जादू

प्रसंग:
• भारतीय वित्त मंत्रालय ने संसद में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के तहत पिछली यूपीए सरकार (2004-2014) के आर्थिक प्रदर्शन को रेखांकित किया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार के तहत बाद में मरम्मत और सुधार की जिम्मेदारी का दावा करते हुए कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और गँवाए गए अवसरों की तस्वीर पेश करता है।
• इस कदम का विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने तुरंत विरोध किया, जिसने "अनय काल के 10 वर्ष (अन्याय का युग)" शीर्षक से एक ब्लैक पेपर जारी किया। यह दस्तावेज़ एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करता है, जिसमें विमुद्रीकरण, माल और सेवा कर (जीएसटी) कार्यान्वयन, बेरोजगारी, किसान संकट और उच्च मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।
पृष्ठभूमि:
• श्वेत और काले दोनों पत्र आगामी चुनावों से पहले अपने संबंधित आर्थिक रिकॉर्ड के बारे में जनता की धारणा को प्रभावित करने के उद्देश्य से राजनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।
• श्वेत पत्र में सुविधाजनक रूप से विमुद्रीकरण जैसी विवादास्पद एनडीए नीतियों का उल्लेख करने से परहेज किया गया है, जिसके बारे में कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
मुख्य निष्कर्ष:
• यूपीए (श्वेत पत्र):
  ◦ धीमी वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति वाली नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप।
  ◦ कोयला, 2जी स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेल घोटालों जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार की संस्कृति को कायम रखने का दोषी ठहराया गया।
  ◦ विशेष रूप से आधार और जीएसटी कार्यान्वयन में सुधारों के छूटे अवसरों की ओर इशारा किया।
• एनडीए (श्वेत पत्र):
  ◦ जीएसटी और आधार अपनाने जैसी उपलब्धियों पर जोर देते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का श्रेय लिया गया।
  ◦ खुद को ऐसे सुधारकों के रूप में प्रस्तुत किया जिन्होंने यूपीए की कमियों को दूर किया और आर्थिक प्रगति को गति दी।
  ◦ यूपीए की तुलना में पारदर्शिता और स्वच्छ शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
कितना सही है सरकार का दावा?
• श्वेत पत्र की कथा अत्यधिक पक्षपातपूर्ण है, जिसमें यूपीए और एनडीए दोनों अवधियों के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि और रोजगार दर जैसे महत्वपूर्ण डेटा को छोड़ दिया गया है।
• यह आधार और जीएसटी कार्यान्वयन के संबंध में एनडीए के भीतर आंतरिक विरोध को आसानी से नजरअंदाज कर देता है, और उन्हें केवल एनडीए की पहल के रूप में प्रदर्शित करता है।
• दस्तावेज़ भूमि और श्रम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लंबित सुधारों को संबोधित करने में विफल है, जो एनडीए के शासन के तहत स्थिर हो गए हैं।
सरकार से क्या चूक हुई:
• ईमानदारी और पारदर्शिता: यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों की सफलताओं और विफलताओं को पहचानने से विश्वास और अधिक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।
• डेटा-संचालित विश्लेषण: उंगली-संकेत को वस्तुनिष्ठ डेटा और विश्लेषण से बदलने से तर्क मजबूत होंगे और सूचित सार्वजनिक चर्चा की अनुमति मिलेगी।
• वर्तमान चुनौतियों को संबोधित करना: अतीत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, बेरोजगारी, स्थिर मजदूरी और किसान संकट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना वास्तविक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगा।
समग्र आउटलुक:
• श्वेत और काले दोनों पत्र राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से पक्षपातपूर्ण दस्तावेज़ हैं, जिनमें निष्पक्षता और वास्तविक विश्लेषण का अभाव है।
• इससे मतदाताओं की दोनों सरकारों के तहत आर्थिक प्रदर्शन की समग्र समझ के आधार पर सूचित निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है।
• भारतीय जनता आर्थिक नीति पर अधिक सूक्ष्म और साक्ष्य-आधारित चर्चा की हकदार है, जो राजनीतिक दोषारोपण से ध्यान हटाकर वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान खोजने पर केंद्रित हो।

नए जल अधिनियम में क्या बदलाव हैं?

प्रसंग
लोकसभा ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 पारित किया, जिससे भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में बहस और चिंताएं छिड़ गईं। यह कानून 1974 के अधिनियम में संशोधन करता है, जिसने औद्योगिक जल निर्वहन को विनियमित करने और जल निकायों के प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) की स्थापना की थी।

पृष्ठभूमि:
जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:
• कारखानों को स्थापित करने से पहले उद्योगों को अपने संबंधित एसपीसीबी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इससे प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन और जल निकायों में प्रवाहित होने से पहले औद्योगिक अपशिष्टों का उचित उपचार सुनिश्चित हुआ।
• औद्योगिक गतिविधियों की निगरानी करने और नियमों को लागू करने के लिए एसपीसीबी को अधिकृत करना। अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप जुर्माना या यहां तक कि छह साल तक की कैद हो सकती है, जो पर्यावरणीय उल्लंघनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निवारक के रूप में कार्य करता है।
हालाँकि, मूल अधिनियम में मौजूद प्रावधान के बावजूद भारत में किसी भी उद्योग को वास्तव में पर्यावरणीय उल्लंघन के लिए कारावास का सामना नहीं करना पड़ा है। यह निवारण कारक की प्रभावशीलता और दंड के कार्यान्वयन पर सवाल उठाता है।
परिवर्तन:
2024 का संशोधन कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है, जिनमें शामिल हैं:
• "मामूली" उल्लंघनों के लिए कारावास को जुर्माने से बदलना: इससे व्यवसायों और नागरिकों के "उत्पीड़न" को कम करने के उद्देश्य से कुछ गैर-गंभीर अपराधों के लिए जेल की संभावना समाप्त हो जाती है। हालाँकि, "मामूली" की परिभाषा अस्पष्ट बनी हुई है और प्रदूषकों के प्रति संभावित उदारता के बारे में चिंता पैदा करती है।
• केंद्र सरकार को उद्योगों की विशिष्ट श्रेणियों को एसपीसीबी की सहमति से छूट देने का अधिकार देना: यह केंद्र को कुछ उद्योगों को संयंत्र स्थापित करने से पहले अनुमति प्राप्त करने से छूट देने में महत्वपूर्ण विवेक देता है, जो संभावित रूप से उन क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रभावित करता है।
• केंद्र को एसपीसीबी सहमति प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देश जारी करने और उनके अध्यक्षों का चयन करने का अधिकार देना: इससे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर केंद्रीय नियंत्रण बढ़ जाता है, जिससे संभावित रूप से राज्य की स्वायत्तता और राजनीतिक प्रभाव की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।
• निगरानी उपकरणों के साथ छेड़छाड़ के लिए दंड का परिचय: इसका उद्देश्य प्रदूषण मानदंडों के साथ औद्योगिक अनुपालन का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के साथ हस्तक्षेप को रोकना, प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करना है।
Implications:

इन परिवर्तनों के संभावित परिणाम बहुआयामी हैं:
• व्यवसायों का "उत्पीड़न" कम होना: प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और कारावास को जुर्माने से बदलना अनुपालन को प्रोत्साहित कर सकता है और उद्योगों के लिए प्रशासनिक बोझ को कम कर सकता है।
• वित्तीय दंड के माध्यम से अनुपालन में वृद्धि: जेल की सजा को जुर्माने से बदलने से वित्तीय परिणामों के कारण प्रदूषण नियंत्रण उपायों में समय पर कार्रवाई और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।
• कमजोर प्रवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की संभावना: कुछ उद्योगों के लिए छूट और कारावास के कम डर से प्रवर्तन में ढिलाई हो सकती है और यदि सावधानीपूर्वक प्रबंधन नहीं किया गया तो प्रदूषक निर्वहन में वृद्धि हो सकती है।
• नियंत्रण का केंद्रीकरण और पारदर्शिता की संभावित कमी: एसपीसीबी की सहमति और अध्यक्षों के चयन पर केंद्र को अधिक शक्ति देने से राज्य की स्वायत्तता और छूट प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं।
चिंताओं:
संशोधनों के संबंध में कई चिंताएँ उठाई गई हैं:
• विपक्षी दलों का तर्क है कि परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण को कमजोर करते हैं: उनका मानना है कि कारावास को हटाने से प्रतिरोध कमजोर हो जाता है और विशेष रूप से छूट वाले उद्योगों से जल प्रदूषण बढ़ सकता है।
• पर्यावरण कार्यकर्ता भी इसी तरह की चिंता व्यक्त करते हैं: उन्हें डर है कि कम दंड और केंद्रीकृत नियंत्रण प्रभावी प्रवर्तन और जवाबदेही में बाधा बन सकते हैं, अंततः पानी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल सकते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता:
भारत में प्रभावी जल प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं:
• "मामूली" उल्लंघनों को वर्गीकृत करने के लिए स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित दिशानिर्देश: दुरुपयोग को रोकने और गंभीर अपराधों के लिए उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सटीक परिभाषाएँ महत्वपूर्ण हैं।
• मजबूत निगरानी और प्रवर्तन तंत्र: गैर-अनुपालन को रोकने और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए औद्योगिक गतिविधियों की निरंतर निगरानी और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।
• छूट प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही: छूट के दुरुपयोग को रोकने और जिम्मेदार निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट मानदंड और सार्वजनिक जांच महत्वपूर्ण है।
• सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता: जल प्रदूषण और इसके परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने से नागरिकों को अधिकारियों को जवाबदेह बनाने और सख्त पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
औद्योगिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और प्रभावी जल प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन, मजबूत निगरानी और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है कि संशोधित अधिनियम भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को कमजोर न करे।

प्रीलिम्स बूस्टर

ब्लूमेशन

- 🥶 ब्लूमेशन सरीसृपों के लिए विशिष्ट निष्क्रियता या कम गतिविधि की स्थिति है, जो ठंडे महीनों के दौरान जीवित रहने की रणनीति के रूप में कार्य करती है जब पर्यावरणीय परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं।
- 🐍 यह घटना स्तनधारियों में हाइबरनेशन के बराबर है, लेकिन सरीसृपों के अद्वितीय शरीर विज्ञान के लिए अनुकूलित है, जो तापमान में गिरावट और भोजन की उपलब्धता में कमी के कारण उत्पन्न होती है।
- 🦎 सरीसृप ब्लूमेशन के दौरान विभिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि भूमिगत बिलों, चट्टानों की दरारों, या अन्य आश्रय वाले क्षेत्रों में पीछे हटना जो अधिक स्थिर तापमान प्रदान करते हैं।
- 🍽️ ब्लूमेशन के दौरान प्रमुख अनुकूलन में से एक चयापचय का एक महत्वपूर्ण धीमा होना है, जो सरीसृपों को भोजन का उपभोग किए बिना लंबे समय तक सहन करने में सक्षम बनाता है, जो हफ्तों से लेकर कई महीनों तक होता है।
- 🦕 विभिन्न सरीसृप प्रजातियों में ब्लूमेशन फैलने के देखे गए उदाहरण, जिनमें बॉक्स कछुए और चित्रित कछुए शामिल हैं, जो तालाबों या झीलों के तल पर कीचड़ में दब जाते हैं।
- 🏞️ सांप भूमिगत मांद या गुफाओं में शरण ले सकते हैं, जबकि छिपकलियां चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अक्सर चट्टानों के नीचे या वनस्पति के भीतर छिपती हैं।
- 🌍 ब्लूमेशन एक महत्वपूर्ण उत्तरजीविता तंत्र है, जो सरीसृपों को ऊर्जा बचाने और अधिक अनुकूल परिस्थितियों के वापस आने तक संसाधन आवश्यकताओं को कम करने की अनुमति देता है, अंततः उन्हें प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने और तापमान बढ़ने पर उभरने में सक्षम बनाता है।

ग्लोबल वार्मिंग के पैटर्न इसके स्तरों से अधिक महत्वपूर्ण हैं

- 📉 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के महत्व पर सवाल उठाया गया है, जो वैज्ञानिक परिशुद्धता के बजाय राजनीतिक वार्ता में इसकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है।
- 🌍 पुरापाषाण प्रॉक्सी पर निर्भर एक नए अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी की सतह 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा को पार कर गई है, लेकिन यह केवल एक स्थान से डेटा का उपयोग करता है, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिनिधित्व सीमित हो जाता है।
- 📉 पैलियो प्रॉक्सी पिछले तापमान का अनुमान लगाने के लिए कोरल, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स जैसे कार्बनिक पदार्थों से रासायनिक साक्ष्य का उपयोग करते हैं, जो वैश्विक रुझानों के बजाय स्थानीय तापमान विसंगति अनुमान प्रदान करते हैं।
- 🌍 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा और ग्लोबल वार्मिंग के स्तर से जुड़े पैटर्न के लिए स्पष्ट स्पष्टीकरण की कमी को उजागर किया गया है, विशेष रूप से जंगल की आग, चक्रवात, सूखा और बाढ़ जैसी स्थान-विशिष्ट आपदाओं के संबंध में।
- 🌧️ 2023 के मानसून की जटिलताओं पर चर्चा की गई है, जिसके लिए अल नीनो, इसके असामान्य पैटर्न और ग्लोबल वार्मिंग के संयोजन को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में अनुभव की गई ठंडक के अस्पष्ट स्पष्टीकरण पर विशेष जोर दिया गया है।
- 🌊 अल नीनो को वार्मिंग प्रतिमान के रूप में वर्णित किया गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न को प्रभावित करता है, और मानसून और अन्य क्षेत्रों पर इसके प्रभावों को विस्तृत किया गया है, जो प्रभावी जलवायु प्रबंधन के लिए पैटर्न को समझने के महत्व को दर्शाता है।
- 📉 लेख बदलते मौसम के अनुकूल होने और जीवन, आजीविका और अर्थव्यवस्थाओं को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वार्मिंग पैटर्न की सटीक भविष्यवाणियों की आवश्यकता पर जोर देता है, बिना किसी मजबूत वैज्ञानिक आधार के मनमाने तापमान सीमा पर ध्यान केंद्रित करने को चुनौती देता है।